न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 87/2018 (2018/00106)

तारीख दायरा–18.12.2018
तारीख निर्णय–01.02.2021

1. श्री नाथु पिता कालु जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी समीजा तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कालु जी नाई उम्र वयस्क निवासी समीजा तहसील गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा समीजा पटवार हल्का समीजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 104 में के आराजी संख्या 925 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा निहित होकर उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त आराजीयात भूमि होकर हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाघा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी बावजुद सूचना सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गया। वादी का वाद स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि का विविक विभाजन करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:40 IST
Reason: SelfAttested

हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादी भी मौके पर उपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि के

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा समीजा पटवार हल्का समीजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 104 में के आराजी संख्या 925 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जा कर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन , मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाडा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोंकन किया गया।

वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया हैं एवं भूमि भी पक्षकारान को लगभग– लगभग बराबर – बराबर दी गई है। जिससे वादी के हिस्से की भूमि का विविक विभाजन किया गया साथ ही विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी कि जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा समीजा पटवार हल्का समीजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 104 में के आराजी संख्या 925 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि में से आराजी संख्या 925मी0 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि का श्री नाथु पिता कालु कुम्हार के खातेदारी में रखी जाती है इसी प्रकारी आराजी संख्या 925/1 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि श्री कालु पिता काना नाई के खातेदारी में रखी जाती है। एतद्नुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी किया जावें । पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा (जिला-उदयपुर राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 87/2018 (2018/00106)

तारीख निर्णय–01.02.2021

1. श्री नाथु पिता कालु जी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी समीजा तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कालु जी नाई उम्र वयस्क निवासी समीजा तहसील गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा समीजा पटवार हल्का समीजा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 104 में के आराजी संख्या 925 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि में से आराजी संख्या 925मी0 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि का श्री नाथु पिता कालु कुम्हार के खातेदारी में रखी जाती है इसी प्रकारी आराजी संख्या 925/1 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि कुल किता 1 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि श्री कालु पिता काना नाई के खातेदारी में रखी जाती है।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:40 IST
Reason: SelfAttested